



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।


KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धित संशोधित नियम – 8(अ)

माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 02-11-2015 के अनुपालन में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अनुचित साधन प्रकरण के नियम 8 (अ) में निम्नवत संशोधन किया जाता है –

नियम 8 (अ) – छात्र का सम्बन्धित प्रश्नपत्र का परीक्षाफल निरस्त किया जाता है तथा उसे आगामी सुधार परीक्षा में सम्बन्धित प्रश्नपत्र में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक 02-11-2015


परीक्षा नियंत्रक
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल